नीति:		
अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा		
नीति कोड:	प्रभावी होने का दिनांक:	पार-संदर्भ:
IPV 1	अप्रैल 8, 2025	ALT 1 BAI 1 CHA 1 REC 1 RES 1 VIC 1 VUL 1 YOU 1.4

सिद्धांत

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा एक बहुत ही गंभीर, व्याप्त, और जटिल समस्या है जिसके लिए एक विशेष कार्रवाई की आवश्यकता होती है जो अग्र सक्रिय, समन्वित और सशक्त हो।

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा बहुत से अन्य अपराधों से भिन्न होती है:

- यह समाज के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है
- इसके शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और वित्तीय प्रभाव प्रायः लंबे समय तक बने रहने वाले और उल्लेखनीय होते हैं
- इसमें बार-बार दोहराए जाने का रुझान होता है, और बाहरी हस्तक्षेप (जैसे कि पुलिस या न्यायालय के शामिल) होने पर, पीड़ित के लिए जोखिम बढ़ सकता है
- प्रायः पीड़ित वित्तीय और भावनात्मक रूप से अपराधी से जुड़ा होता है जिससे अपराधी पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध के फलस्वरूप पीड़ित पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
- हिंसा की सीमा चरम तक जा सकती है, जिसमें कैनेडा में मानव हत्या के पांच मामलों में से एक मामला अंतरंग साथी की हत्या का होता है

इस नीति का प्रयोग

इस नीति के प्रयोजन हेतु:

"अंतरंग साथी" में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है - चाहे उनका लिंग या यौन रुझान कैसा भी हो - जिसके साथ आरोपी/प्रतिवादी का लगातार निकट और व्यक्तिगत या अंतरंग संबंध हो, या रहा हो, चाहे कथित आपराधिक आचरण के समय वे कानूनी तौर पर विवाहित हों या नहीं अथवा एक साथ रह रहे हों या नहीं।

"अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा" (IPV) में शामिल हैं:

- किसी अंतरंग साथी के विरुद्ध शारीरिक हमले या यौन जबरदस्ती का अपराध, अथवा शारीरिक हमले या यौन जबरदस्ती की धमकी देना
- शारीरिक हमले या यौन जबरदस्ती से इतर कोई अन्य अपराध, जैसे कि आपराधिक उत्पीड़न, धमकी देना, सहमति के बिना अंतरंग चित्रों का प्रकाशन, या ऐसा शरारत पूर्ण कार्य, जहां यह विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद हो कि अपराध का उद्देश्य किसी अंतरंग साथी में भय, मानसिक आघात पैदा करना, उसे कष्ट या नुकसान पहुंचाना था अथवा अपराध के कारण वास्तव में ऐसा हुआ
- ऐसा अपराध जहां आरोपी के आपराधिक कृत्य का लक्ष्य अंतरंग साथी हो भले ही अंतरंग साथी प्रत्यक्ष पीड़ित न हो, उदाहरण के लिए, जहां आरोपी ने अंतरंग साथी के लिए महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति या चीज के विरुद्ध अपराध किया हो जैसे कि अंतरंग साथी के बच्चे या नए साथी पर हमला करना
- उपरोक्त से संबंधित परिस्थितियाँ जो क्रिमिनल कोड के तहत पूर्वनिरोधात्मक जमानतनामा के लिए आवेदन को उचित ठहराती हैं
- उपर्युक्त परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित न्यायालय आदेशों के उल्लंघन का अपराध:
    - "K" फाइलों पर दी गई जमानत, परिवीक्षा, या सशर्त सजा के आदेश
    - पूर्व के *फैम्ली रिलेशंस एक्ट* के तहत दिए गए निरोधात्मक आदेश
    - *फैम्ली लॉ एक्ट* के तहत दिए गए सुरक्षा आदेश
    - क्रिमिनल कोड के तहत दिया गया पूर्वनिरोधात्मक जमानतनामा

प्रशासनिक और रिकॉर्ड रखरखाव के प्रयोजन हेतु, बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस (BCPS) सभी अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामलों को जिन्हें अभियोजन के लिए अनुमोदित किया गया हो, न्यायालय के रजिस्ट्री नंबर तथा क्राउन फाइल में "K" लिखकर एक "K" फाइल के रूप में चिह्नित और नामोद्दिष्ट कर देती है।

आरोप निर्धारण

क्राउन काउंसल एक्ट के तहत, पुलिस से रिपोर्ट टू क्राउन काउंसल (RCC) प्राप्त हो जाने के बाद, यह क्राउन काउंसल की जिम्मेदारी होती है कि वह *चार्ज असेसमेंट गाइडलाइन्स* (CHA 1) की नीति के अनुरूप अभियोजित करने का निर्णय ले। यह केवल पीड़ित की इच्छा के अनुसार तय नहीं किया जा सकता।

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामलों में, जहां साक्ष्यों का परीक्षण पूरा हो जाता है, अभियोजन यानी मुकदमा चलाने की कार्यवाही पर आगे बढ़ना सामान्यतः जनहित में होता है।

क्राउन काउंसल को बिना विलंब किए अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के आरोपों का निर्धारण कर देना चाहिए।

चूंकि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाना भविष्य की हिंसा के लिए एक चिह्नित किया गया जोखिम कारक होता है, अतः जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जमानत के उल्लंघन, सशर्त सजा आदेशों और परिवीक्षा आदेशों के लिए आरोपों को अनुमोदित करने पर विचार करे। किसी अंतरंग साथी को नुकसान पहुंचाने या को ख़तरे में डालने या को डराने-धमकाने वाली किसी भी उल्लंघना के लिए, यदि सज़ा की पर्याप्त संभावना के स्पष्ट तौर पर मानक पूरे होते है, तो आम तौर पर अभियोजन के पक्ष में एक मज़बूत जनहित होता है। यहां तक कि जहां अदालत के आदेश में दिए जाने वाले किसी कारण से बने मूल आरोप के लिए अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया

जाता, इसलिए पुलिस द्वारा "उच्चतम जोखिम" के तौर पर पहचानी गई स्थितियों में किसी भी अदालती आदेश की किसी भी संभव उल्लंघना के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

जहां यह आरोप हो कि *फैमिली लॉ एक्ट* (FLA -*दि चाइल्ड, फ़ैमिली एंड कम्युनिटी सर्विस एक्ट* के तहत दिए गए सुरक्षा आदेश अथवा पूर्व *फैम्ली रिलेशंस एक्ट* (FRA) के तहत दिए गए निरोधात्मक आदेश का उल्लंघन हुआ है, वहां यदि गैर-अनुपालन की परिस्थितियां सुरक्षा से संबंधित हों तो क्राउन काउंसल को उल्लंघन के अभियोग पर विचार करना चाहिए। FLA के तहत सुरक्षा आदेशों को *क्रिमिनल कोड* की धारा 127 के अनुसरण में एक न्यायालय आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाकर लागू किया जा सकता है और FRA के तहत निरोधात्मक आदेशों को उस पूर्व अधिनियम तथा *अफेन्स एक्ट* के उपबंधों के तहत लागू किया जा सकता है।

जहां किसी आरोप को न लगाने का निर्णय लिया जाए अथवा जहां कार्यवाही स्थगित करना उपयुक्त हो जाए, वहां क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या किसी पीड़ित या उसके परिवार की सुरक्षा के लिए (*रिकाग्निजेंसेज एंड पीस बांड्स* (REC 1)) पूर्वनिरोधात्मक जमानतनामा के तहत जमानत (रिकाग्निजेंस) का आवेदन देने की आवश्यकता है। क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या "*दि रस्पैक्टफुल रिलेशनशिप्स प्रोग्रैम*" अथवा BC करेक्शंस द्वारा प्रशासित किसी ऐसे ही कार्यक्रम में भाग लेना जमानत की शर्त के तौर पर उपयुक्त रहेगा, जिसके लिए व्यावहारिक तौर पर कम से कम एक वर्ष के सामुदायिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है (परिशिष्ट A)।

पारस्परिक आरोप विरले तौर पर ही अनुमोदित किए जाने चाहिए और पारस्परिक जमानत विरले तौर पर ही उपयुक्त रहती है। उन परिस्थितियों में जहां पारस्परिक हिंसा का आरोप लगाया जाए, क्राउन काउंसल को हमला करने वाले व्यवहार को रक्षात्मक अथवा सहमति-जन्य आचरण से अलग करने का प्रयास करना चाहिए।

अभियोजन के विकल्प

उपयुक्त परिस्थितियों में, वैकल्पिक अभियोजन पर विचार किया जा सकता है यदि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के किसी मामले में अभियोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अभी भी हासिल किए जा सकते हों (*ऑल्टर्नेटिव्स टू प्रॉसिक्यूशन्स – एडल्टस* (ALT 1) यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट-एक्स्ट्राज्यूडिशियल मेजर्स (YOU 1.4) ।

किसी अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामले में, पीड़ित की चिंता पर सावधानीपूर्वक विचार किए बिना वैकल्पिक उपायों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए और उन पर तभी आगे बढ़ना चाहिए यदि:

- कोई महत्वपूर्ण शारीरिक चोट न हो
- अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा का पिछला इतिहास न हो
- प्रासंगिक जोखिम कारकों पर गौर करने के बाद और BC करेक्शंस द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जोखिम निर्धारण जानकारी पर भी गौर करने के बाद, क्राउन काउंसल के पास यह मानने का कोई तर्कसंगत आधार न हो कि और भी अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा अपराधों का उल्लेखनीय जोखिम है
- वैकल्पिक उपायों का प्रयोग जनहित के विरोध में न हो

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा पर विशिष्ट रूप से लक्षित BC करेक्शंस का कार्यक्रम जिसका शीर्षक "*दि रस्पैक्टफुल रिलेशनशिप्स प्रोग्रैम*" है, वैकल्पिक उपायों के रेफरल पर उपलब्ध नहीं है (परिशिष्ट A)।

हालांकि वैकल्पिक उपायों के रेफरल पर कार्यवाही के किसी भी चरण में विचार किया जा सकता है, लेकिन रेफर करने से पहले क्राउन काउंसल को किसी आरोप को अनुमोदित करने तथा रिहा करने की शर्तों को तैयार रखने पर विचार करना चाहिए।

जमानत (बेल) पर विचार विमर्श

रिहाई या हिरासत की उचित शर्तें मांगना

जब भी पीड़ित या अन्य संभावित पीड़ितों की सुरक्षा हेतु हिरासती आदेश या रिहाई की शर्तों की मांग करना आवश्यक हो, तो क्राउन काउंसल को वॉरंट के लिए अनुरोध करना चाहिए।

जमानत पर मत तैयार करते समय, क्राउन काउंसल को जनता की सुरक्षा विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें पीड़ित और परिवार के अन्य सदस्य, विशेषकर बच्चे (*बेल– एडल्ट* (BAI 1)) भी शामिल हैं। क्राउन काउंसल को जोखिम कारकों, विशेष तौर पर वह, जो अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोतरी होने से जुड़े हुए हैं, संबंधी सारी उपलब्ध जानकारी पर विचार ज़रूर करना चाहिए। यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का तर्कसंगत आधार हो कि अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है, तो उसे जमानत की सुनवाई पर अपनी बात प्रस्तुत करने से पहले पुलिस से ऐसी जानकारी मांग लेनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो रिमांड की मांग करनी चाहिए।

कुछ अपराधों के लिए, *क्रिमिनल कोड* की धारा 515(4.1) अदालत से रिहाई आदेश में अभियुक्त को आग्नेय-शस्त्र और अन्य हथियार रखने से प्रतिबंधित करने की अपेक्षा रखती है, जब तक अदालत यह विचार नहीं करती कि अभियुक्त की सुरक्षा या पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्थिति की आवश्यकता नहीं है। क्राउन काउंसल को यह भी विचार करना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा, विशेष तौर पर पीड़ित सर्वोपरि है, को ध्यान में रखते हुए क्या आग्नेय-शस्त्रों, चाकुओं और अन्य हथियारों तक उसकी पहुंच हमेशा उचित है।

अभियुक्त व्यक्तियों, जिन्हें पहले IPV-संबंधी अपराध के लिए सज़ा हुई है, के लिए ज़मानत संबंधी स्थिति तैयार करते समय, क्राउन काउंसल को *क्रिमिनल कोड* की धारा 515(6)(b.1) में रिवर्स ओनस प्रोवीज़न (अभियोजन द्वारा एक मूलभूत तथ्य की मौजूदगी सिद्ध करने के बाद अभियुक्त पर सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी) के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। क्राउन काउंसिल को उन आरोपी व्यक्तियों के लिए धारा 515(6)(बी.2) में रिवर्स ओनस प्रावधान के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए, जिन्हें ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जहां हिंसा का इस्तेमाल किया गया था, धमकी दी गई थी, या हथियार के इस्तेमाल का प्रयास किया गया था।

पीड़ित, अथवा अन्य संभाव्य पीड़ितों की सुरक्षा के लिए, जब भी हिरासत आदेश अथवा रिहाई की शर्तों की मांग करना आवश्यक हो, क्राउन काउंसल को वारंट का अनुरोध करना चाहिए।

यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा की परिस्थितियों में ऐसे न्यायालय आदेश शामिल हैं जहां आरोपी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो क्राउन काउंसल को पुष्टि करनी चाहिए कि जांचकर्ता एजेंसी ने उन आदेशों को क्राउन काउंसल RCC में शामिल कर लिया है। संभावित प्रासंगिक आदेशों में पूर्व के *FRA,FLA*, *चाइल्ड, फैम्ली एंड कम्युनिटी सर्विस एक्ट*, तथा *डिवोर्स एक्ट* के तहत दिए गए आदेश शामिल हैं। क्राउन काउंसल को प्रत्येक आदेश की समीक्षा करनी चाहिए और उन आदेशों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जमानत की शर्तों के साथ संभावित टकराव कम से कम किए जा सकें।

गंभीर शारीरिक नुकसान या मौत की पर्याप्त संभावना – अनिवार्य-मत

जहां क्राउन काउंसल के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आरोपी किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा या मौत का कारण बनेगा, क्राउन काउंसिल को धारा 515(12) के अनुसार "कोई संपर्क नहीं" आदेश के साथ-साथ हिरासत आदेश की मांग करनी चाहिए। आपराधिक संहिता की धारा 516(2)। जहां ऐसे मामलों में हिरासत का आदेश नहीं दिया जाता है, क्राउन काउंसिल को अदालत से पीड़ित, पीड़ित के परिवार और जनता के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए शर्तें लगाने के लिए कहना चाहिए। क्राउन काउंसल को प्रशासनिक क्राउन काउंसल के परामर्श से जमानत समीक्षा पर तत्काल विचार करना चाहिए।

जमानत शर्तों की समीक्षा

जहां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ़्तार किया गया है और रिहा कर दिया गया है, तो क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करने के लिए रिहाई संबंधी दस्तावेज़ों की समीक्षा करनी चाहिए कि पीड़ित और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त, लागू करने योग्य शर्तें लगी हुई हैं। यदि अभियुक्त को एक वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) पर रिहा जा रहा है, तो जहां आवश्यक हो, क्राउन काउंसल को उपयुक्त शर्तों वाली धारा 515(1) या (2) के अंतर्गत अदालती रिहाई के आदेश के स्थान पर वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) के साथ आवेदन देने के लिए धारा 502(2) में दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए धारा 512 के अंतर्गत वॉरंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।

यदि कोई आरोपी पहली बार पेश होने से पहले पुलिस द्वारा आदेशित शर्तों की समीक्षा करने की मांग करता है, तो क्राउन काउंसल को पुलिस के RCC की समीक्षा करनी चाहिए और, जहां आवश्यक हो, मत बनाने से पहले पुलिस तथा पीड़ित से संपर्क करना चाहिए।

यदि पीड़ित या आरोपी जमानत की किसी शर्त को हटाने का अनुरोध करता है जो आरोपी और पीड़ित के बीच संपर्क का निषेध करती हो, तो क्राउन काउंसल को उपलब्ध स्रोतों से जैसे कि पीड़ित, जमानत सुपरवाइज़र, अथवा पुलिस से आरोपी और पीड़ित के संबंधों के इतिहास के बारे में, तथा आरोपी की पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ज़मानत की समीक्षा हेतु सहमति दी जाए, इसमें "कोई संपर्क नहीं" या अन्य शर्तों में कोई भी बदलाव शामिल होता है, क्राउन काउंसल को परिस्थितियों में किसी भी प्रासंगिक परिवर्तन के साथ ही अनुरोध किए जा रहे परिवर्तनों के स्वरूप पर विचार करना चाहिए; संबंध में सशक्त शक्ति; पीड़ित, पीड़ित के परिवार और नागरिकों की आवश्यकताएं और सुरक्षा; और अंतरंग साथी के विरूद्ध हिंसा का कोई इतिहास। जहां परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ हो, तो क्राउन काउंसल को केवल ज़मानत संबंधी शर्तों की समीक्षा के लिए सहमति देनी चाहिएं।

जमानत पर मतभेद – पुलिस से परामर्श (जिसमें "उच्चतम-जोखिम" वाले मामले भी शामिल हैं)

जब पुलिस को आशंका हो कि अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा का मामला "उच्चतम जोखिम" वाला हो सकता है, तो पुलिस आरोपी का जोखिम निर्धारण शुरू करने का निर्णय ले सकती है। जहां पुलिस ने मामले को "उच्चतम जोखिम" के तौर पर चिह्नित किया हो, और क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि हिरासत जरूरी नहीं है अथवा यह कि पुलिस द्वारा सिफारिश की गई कोई भी जमानत की शर्त जरूरी नहीं है, तो क्राउन काउंसल को जमानत की सुनवाई से पहले पुलिस से परामर्श करना चाहिए और पुलिस को अवसर देना चाहिए ताकि वह कोई भी और प्रासंगिक साक्ष्य अथवा जानकारी उपलब्ध करा सके।

यदि ऐसे परामर्श के बाद भी पुलिस और क्राउन काउंसल में असहमति हो कि पुलिस द्वारा सिफारिश की गई हिरासत या कोई भी जमानत की शर्त जरूरी है या नहीं, तो क्राउन काउंसल को जमानत की सुनवाई से पहले रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श करना चाहिए।

जो मामले "उच्चतम जोखिम" के तौर पर चिह्नित नहीं हैं, उनमें यदि क्राउन काउंसल पुलिस के साथ इस बात पर असहमत हो कि हिरासत, अथवा पुलिस द्वारा सिफारिश की गई कोई भी जमानत की शर्त जरूरी है या नहीं और क्राउन काउंसल के सामने यह बात मानने के उचित आधार हैं कि हिरासत या विशेष शर्त लागू करने के लिए एक आवेदन की पुष्टि में पुलिस के पास अधिक प्रासंगिक सबूत या जानकारी हो सकती है, इसलिए जमानत की सुनवाई करने से पहले क्राउन काउंसल को पुलिस के साथ परामर्श करने के लिए उपयुक्त कोशिश करनी चाहिए।

सभी मामलों में, क्राउन काउंसल को फाइल पर लिखित टिप्पणी देनी चाहिए जिसमें असहमति का आधार तथा क्राउन काउंसल द्वारा बनाए गए मत का तर्क दिया गया हो।

जमानत का उल्लंघन

यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि जमानत की किसी शर्त के कथित उल्लंघन से "उच्चतम जोखिम" वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा होती है, तो क्राउन काउंसल को जमानत रद्द करने और हिरासत का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन देना चाहिए। अन्य सभी मामलों में, यदि क्राउन काउंसल के पास यह मानने का उचित आधार हो कि जमानत की किसी शर्त के कथित उल्लंघन से किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा होती हैं, तो क्राउन काउंसल को *क्रिमिनल कोड* की धारा 524 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किए जाने पर विचार करना चाहिए।

बाल सुरक्षा – *चाइल्ड, फैम्ली एंड कम्युनिटी सर्विस एक्ट*

चाइल्ड, फैम्ली एंड कम्युनिटी सर्विस एक्ट की धारा 14 में अपेक्षित है कि सभी ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनके पास यह मानने का कारण हो कि किसी बच्चे को "सुरक्षा की आवश्यकता है," जैसा कि एक्ट की धारा 13 में परिभाषित किया गया है, यह जरूरी है कि वे मामले की सूचना शीघ्रता से किसी डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर द्वारा नामोद्दिष्ट किए गए बाल सुरक्षा कार्यकर्ता को दें। सामान्यतः यह तर्कसंगत अपेक्षा की जाती है कि जहां आवश्यक होगा, पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यदि यह मानने का कारण है कि पुलिस रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी अथवा जहां क्राउन काउंसल को ऐसी अतिरिक्त जानकारी मिलती है जो RCC में नहीं है और जिसके कारण यह मानने का आधार बनता हो कि एक्ट में परिभाषित किए गए अनुसार किसी बच्चे को सुरक्षा की आवश्यकता है, वहां क्राउन काउंसल के लिए कानूनन जरूरी है कि वह एक रिपोर्ट तैयार करे।

पीड़ितों को जानकारी देना (जिसमें "उच्चतम-जोखिम" वाले मामले भी शामिल हैं)

सभी पीड़ितों को पीड़ित सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सलाह दी जानी चाहिए।

क्राउन काउंसल द्वारा अथवा बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस के निर्दिष्ट कार्मिकों द्वारा निम्नलिखित के बारे में पीड़ित को समय पर जानकारी दी जानी चाहिए - कोई भी तय किए गए आरोप, रिहाई की शर्तें, अथवा मामले से संबंधित अन्य प्रगति जैसा कि बीसी के *विक्टिम्स ऑफ क्राइम एक्ट*, संघीय *कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स* तथा *विक्टिम्स ऑफ़ क्राइम – प्रोवाइडिंग असिस्टैंस एंड इन्फ़र्मेशन टू* (VIC 1) संबंधी *नीति के अनुसार अपेक्षित हो।*

जिन मामलों को पुलिस ने "उच्चतम जोखिम" के तौर पर चिह्नित किया हो, उनमें क्राउन काउंसल द्वारा अथवा बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस के निर्दिष्ट कार्मिकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित तथा पुलिस को यथाशीघ्र रिहाई, रिहाई की शर्तों, तथा न्यायालय के मत के बारे में सूचित किया जाए। इससे आवश्यकता होने पर पीड़ित पुलिस से संपर्क कर सकेगा। यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह अन्य न्यायिक/बाल कल्याण साझेदारों (जैसे कि BC करेक्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन एंड फैम्ली डिवेलपमेंट) को यथाशीघ्र सूचित करे, जब तक कि समुदाय में क्राउन काउंसल द्वारा ऐसा किए जाने की कोई सहमत प्रथा मौजूद न हो।

अनिच्छुक गवाह

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामलों के अभियोजन में प्रायः पीड़ित अथवा अन्य गवाह अनिच्छुक या संकोची होते हैं। आरोपी और अन्य लोग न्यायालय प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं और पीड़ित प्रायः संबंध में हिंसा की गंभीरता को न्यूनतम बताते हैं, अथवा उसके होने से ही इनकार कर देते हैं। क्राउन काउंसल को प्रमाणित करने के संबंध में किसी भी संकोच के कारण जानने का प्रयास करना चाहिए और प्रतिक्रिया की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। जब यह मानने का उचित आधार हो कि पीड़ित अथवा गवाह को धमकाया गया है अथवा बाधित किया गया है, तो क्राउन काउंसल को चाहिए कि वह जांच के लिए मामला पुलिस को रेफर कर दे।

विक्टिम सर्विसेज, या सांस्कृतिक या पीड़ित मूल निवासी से जुड़ी संस्थाएं न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा पीड़ितों की सहायता कर सकती हैं।

पीड़ित को व्यक्तिगत तौर पर एक सम्मन दिया जाना चाहिए कि वह गवाही दे, लेकिन सीमित परिस्थितियों में ही पीड़ित के पेश न हो पाने पर उसके लिए किसी महत्वपूर्ण गवाह वारंट (मटीरियल विटनेस वारंट) की मांग की जानी चाहिए। गवाह की गिरफ्तारी के वॉरंट हेतु आवेदन करने से पहले, क्राउन काउंसल को प्रशासनिक क्राउन काउंसल से परामर्श करना चाहिए और सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, इसमें इस बात की संभावना है कि पीड़ित गवाही देगा और पीड़ित द्वारा न्यायालय में पेश न होने संबंधी कोई स्पष्टीकरण, कथित अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा की गंभीरता, और बच्चों व अन्य लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता शामिल होती है। क्राउन काउंसल को पीड़ित को आपराधिक न्याय-प्रणाली से और दूर रखने या उनके आश्रितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। क्राउन काउंसल को मूल महिला पीड़ितों की बढ़ी हुई संवेदनशीलता, विशेष तौर पर मूल महिला पीड़ितों की परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए भी विचार करना चाहिए।

जहां क्राउन काउंसल यह पुष्टि करने में असमर्थ हो कि पीड़ित प्रमाणित करेगा, उसे विचार करना चाहिए कि क्या अन्य प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध हैं।

गवाही देने संबंधी विशेष सुविधाएं और प्रकाशन संबंधी रोक

कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स की धारा 13 और 19 में व्यवस्था है कि सभी पीड़ितों को यह अधिकार है कि वे गवाह के रूप में पेश होते समय, कानून में दी गई प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रमाणित करने में सहायक चीजें मांग सकते हैं।

क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या धारा 486से 486.5 और 486.7 के तहत प्रमाणन संबंधी विशेष सुविधाएं और प्रकाशन संबंधी रोक उपलब्ध हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में, न्यायालय निम्नलिखित के लिए आदेश दे सकता है:

- जनता को बाहर रखना अथवा गवाह सावर्जनिक तौर पर न दिखाई दे (धारा 486(1))
- सहायक व्यक्ति या उपलब्धता के अंतर्गत कोर्ट रूम डॉग के लिए (धारा 486.1 और 486.7)
- गवाह द्वारा एक अलग कमरे से या पर्दे या अन्य युक्ति के पीछे से गवाही देना (धारा 486.2)
- नियुक्त किए गए काउंसल द्वारा जिरह (जहां आरोपी का वकील न हो) (धारा 486.3)
- पीड़ित की पहचान के संबंध में प्रकाशन पर रोक (धारा 486.4 और 486.5)

विरले मामलों में, जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.31 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने पर भी विचार कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि गवाह की पहचान करा सकने वाली किसी भी जानकारी को कार्यवाही के दौरान प्रकट न किया जाए अथवा *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.7 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने पर भी विचार कर सकता है, ताकि गवाह को सुरक्षा दी जा सके। इस प्रकार का आवेदन देन से पहले, क्राउन काउंसल को किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श करना चाहिए।

क्राउन काउंसिल को पीड़ित या गवाह से परामर्श करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पीड़ित या गवाह प्रकाशन प्रतिबंध का विषय बनना चाहता है या नहीं। यदि क्राउन काउंसिल प्रतिबंध के लिए आवेदन करता है और अदालत इसका आदेश देती है, तो क्राउन काउंसिल को संबंधित पीड़ित या गवाह को आदेश के अस्तित्व के बारे में सूचित करना चाहिए और, यदि वे प्रकाशन प्रतिबंध का विषय नहीं बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपने अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए। आदेश को रद्द करें या बदलें (धारा 486.5(8.2))।

सुनवाई की तैयारी

जहां यह मानने का उचित आधार हो कि गंभीर शारीरिक नुकसान अथवा मृत्यु की काफी संभाव्यता है, अथवा यदि कोई कमजोर स्थिति वाला पीड़ित हो (*वल्नरेबल विक्टिम्स एंड विटनेसेज़* (VUL 1)), वहां फाइल जल्दी ही किसी ट्रायल काउंसल को निर्दिष्ट कर दी जानी चाहिए। निर्दिष्ट किए गए क्राउन काउंसल को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

- पीड़ित, पुलिस, पीड़ित सेवा, तथा मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड फैम्ली डिवेलपमेंट और मूल संगठनों के साथ संप्रेषण एवं समन्वय बढ़ाना
- सुनवाई के लिए जल्दी तारीख मांगना
- पीड़ित को जल्दी पहचान तथा किसी भी प्रमाणन सुविधा अथवा प्रकाशन रोक की सूचना देना सुनिश्चित करना जो *क्रिमिनल कोड* की धारा 486 से 486.31 और 486.7 के तहत उपलब्ध हों।

समाधान संबंधी चर्चा

अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामले में समाधान चर्चा शुरू करने अथवा कार्यवाही पर स्थगन के निर्देश से पहले, क्राउन काउंसल को *रेज़लूशन डिस्कशंज़* (RES 1) संबंधी नीति पर विचार करना चाहिए।

सजा देना

विक्टिम्स ऑफ क्राइम एक्ट की धारा 4, तथा *कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स* की धारा 15 और 19 के अनुसार, पीड़ितों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे पीड़ित प्रभाव विवरण तथा जानकारी उपलब्ध कराएं।

क्राउन काउंसल को, अदालत के सामने किसी भी गंभीर परिस्थितियों और IPV-संबंधी अपराधों के लिए पिछली किसी भी सज़ा को रखना चाहिए।

इस बात का सबूत है कि अपराधी ने, अपराध करने में, अपराधी के अंतरंग साथी या पीड़ित या अपराधी के परिवार के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके लिए यह एक गंभीर परिस्थिति है, जिसके लिए सज़ा बढ़ानी चाहिए। अपराधी को सज़ा देने वाली अदालत को *क्रिमिनल कोड* की धारा 718.2(a)(ii) को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अभियुक्त व्यक्तियों, जिन्हें पहले IPV-संबंधी अपराध के लिए सज़ा हुई है, के लिए सज़ा संबंधी स्थिति तैयार करते समय क्राउन काउंसल को *क्रिमिनल कोड* की धारा 718.3(8) के प्रभाव पर विचार करना चाहिए, जिसके अंतर्गत जज कारावास की सज़ा दे सकता है, जो कुछ निंदनीय अपराधों के लिए दी जाने वाली अधिकतम सज़ा की सीमा से अधिक होती है। क्राउन काउंसल को धारा 718.201 का ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए अदालत को पीड़ित महिलाओं की बढ़ी हुई संवेदनशीलता पर विचार करने की आवश्यकता होती है, यह धारा मूल महिला पीड़ितों की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देती है।

जहां सामुदायिक पर्यवेक्षण उचित हो, क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या अपराधकर्ता को BC करेक्शंस द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता है जिसका नाम "*रिलेशनशिप वायलन्स प्रीवेंशन प्रोग्रैम*" (परिशिष्ट A) है और यदि उपयुक्त हो तो एक प्री-सन्टेंस रिपोर्ट (सजा-पूर्व रिपोर्ट) मांगनी चाहिए।

क्राउन काउंसल को ऐसी शर्तें प्राप्त करनी चाहिए जिनसे पीड़ित को सुरक्षा मिलती हो। इनमें "कोई संपर्क नहीं" और रिपोर्ट करने की आवश्यकता शामिल हो सकती हैं, और साथ ही किसी भी परामर्श या कार्यक्रम में शामिल होना, भाग लेना, तथा उसे सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल हो सकता है।

क्राउन काउंसल को धारा 743.21 के तहत एक आदेश का अनुरोध करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें अपराधकर्ता के लिए सजा की हिरासत की अवधि में किसी भी पीड़ित अथवा गवाह के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण का निषेध हो।

क्राउन काउंसल को धारा 487.051 के तहत एक DNA आदेश प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए।

क्राउन काउंसल को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 109 अथवा 110 के तहत हथियारों का निषेध अनिवार्य है, जिसमें धारा 109 (1)(a.1) अथवा 110(2.1) के तहत दिए गए उपबंधों का विशेष खयाल रखा जाए, जो विशिष्ट रूप से अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा से संबंधित हैं।

क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 738 अथवा 739 के तहत हर्जाना देने आदेश (रेस्टिट्यूशन ऑर्डर) उचित रहेगा और पीड़ितों को यह बताने का अवसर देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि क्या वे अपने नुकसान और हानियों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं।

मूल निवासी

कई सरकारी आयोगों और रिपोर्टों के साथ ही कैनेडा की सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह बात मानी गई है कि मूल व्यक्तियों (फ़र्स्ट नेशन, मैटिस और इन्यूट) द्वारा बर्दाश्त किए गए भेदभाव, चाहे वे स्पष्ट तौर पर नस्लवादी दृष्टिकोण या सांस्कृतिक तौर पर अनुचित प्रथाओं के कारण हुए हों, जबकि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी भागों में भी इनका विस्तार हुआ है।

कैनेडा में उपनिवेशवाद, विस्थापन और आवासीय विद्यालयों के इतिहास ने निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, कम आय, उच्च बेरोज़गारी, मादक द्रव्यों के सेवन और आत्महत्या की उच्च दर और मूल व्यक्तियों की कैद के उच्च स्तर को दर्शाया है।[1]

मूल व्यक्तियों की उत्पीड़न दर, विशेष तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों की उत्पीड़न दर भी ग़ैर- मूल व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है।[2]

कैनेडा में मूल व्यक्तियों के लिए उपनिवेशवाद के निरंतर परिणाम, पीड़ित या संभावित अभियुक्त के तौर पर मूल व्यक्ति से संबंधित किसी भी आरोप निर्धारण के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करते हैं। इन परिणामों को "मूल लोगों को प्रभावित करने वाले असाधारण प्रणालीगत और पृष्ठभूमि संबंधी कारकों के साथ ही उनके मौलिक तौर पर विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक विचारों को ध्यान में रखकर उपाय ज़रूर करने चाहिए।"[3]

कैनेडा के समाज के भीतर आपराधिक न्याय-प्रक्रिया के सभी पड़ावों में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और कानूनी तौर पर सूचित नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की आवश्यकता को देखते हुए मूल व्यक्तियों की एक विलक्षण स्थिति है।

पीड़ितों के तौर पर मूल व्यक्तियों को शामिल करने वाले मामलों के लिए, क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में मूल व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा की समस्या की गंभीरता की उनकी स्थितियों को दर्शाती है, विशेष तौर पर मूल महिलाएं और लड़कियां और उन्हें जिस गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ा है।4[4] क्राउन काउंसल को यह भी स्वीकार चाहिए कि पीड़ितों के तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों को शामिल करने वाले अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के मामलों के अभियोजन के पक्ष में एक मज़बूत जनहित है। हालांकि ALT1 के अनुसार अभियोगों के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, विशेष तौर पर जब एक पारंपरिक या सांस्कृतिक तौर पर आधारित मूल कार्यक्रम उपलब्ध है।

अंतरंग साथी के साथ दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों के लिए, *क्रिमिनल कोड* की धारा 718.201 को भी अदालत की आवश्यकता होती है, जब सज़ा देते समय पीड़ित महिलाओं की बढ़ी हुई संवेदनशीलता पर विचार करने के लिए मूल

---

1 *R v Ipeelee*, 2012 SCC 13

2 *कैनेडा में मूल लोगों का उत्पीड़न, 2014*, सांख्यिकी कैनेडा, 2016

3 *Ewert v Canada*, 2018 SCC 30 अनुच्छेद 57 और 58 में; *R v Barton*, 2019 SCC 33 अनुच्छेद 198-200 में

4 *R v Barton*, 2019 SCC 33 अनुच्छेद 198 में

महिला पीड़ितों की परिस्थितियों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

क्राउन काउंसल को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे मामलों में, जिनमें एक व्यक्ति का दुर्व्यवहार शामिल है, जो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण कमज़ोर (संवेदनशील) है, *क्रिमिनल कोड* की धारा 718.04 अपेक्षा रखती है कि अदालत आचरण की निंदा और रोक लगाने के उद्देश्यों पर पहले विचार करेगी, जो कि *आपराधिक कोड* की धारा 718.04 के अनुसार अपराध का आधार बनते हैं (VUL 1)।

परिशिष्ट A

BC करेक्शंस रिस्पैक्टफ़ुल रिलेशनशिप्स प्रोग्राम

बी.सी. करेक्शंस मध्यम और उच्च जोखिम वाले अंतरंग साथी हिंसा अपराधियों और अन्य व्यक्तियों (जैसे, धारा 810 और 810.03 प्रतिवादियों) को *रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स प्रोग्राम* उपलब्ध कराता है, जिन्हें अदालत द्वारा इन कार्यक्रमों में शामिल रहने का आदेश दिया गया है। इस प्रोग्राम के दो क्रमिक भाग हैं: *रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप (भाग एक)*, यह एक 10-सप्ताह का कार्यक्रम है, जो BC करेक्शंस के स्टाफ द्वारा प्रदान किया जाता है, और *रिलेशनशिप्स (भाग दो)*, जो 11-सप्ताह का कार्यक्रम है और अनुबन्धित सेवादाताओं द्वारा प्रदान किया जाता है।

रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स की कुल अवधि मिलाकर 21 सप्ताह (लगभग 5 महीने) है। कार्यक्रम की समय-सारणी संबंधी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम एक वर्ष के सामुदायिक पर्यवेक्षण की सिफारिश की जाती है ताकि दोनों कार्यक्रमों का पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।